

दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

निर्णय की तिथि: 10 अप्रैल,
2024

वसीयत वाद 14/2019

तेजबीर सिंह

.....याचिकाकर्ता

द्वारा: श्री अमित गोयल, अधिवक्ता

बनाम

राज्य एवं अन्य

.....प्रत्यर्थीगण

द्वारा: श्री जीवेश नागरथ, श्री अर्जुन
गौड़ और श्री रजत गुप्ता, प्र-3 से
5 के अधिवक्तागण
श्री आदित्य त्रेहान, प्र-6 और प्र-
8 के अधिवक्ता।
सुश्री आकांक्षा कौल और सुश्री
वर्षा सिंह, प्र-7 के
अधिवक्तागण।

कोरम:

माननीय न्यायमूर्ति सुश्री नीना बंसल कृष्णा

निर्णय (मौखिक)

1. याचिकाकर्ता, एकमात्र निष्पादक श्री तेजबीर सिंह ने भारतीय

उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की धारा 276 सहपठित धारा 222 के अंतर्गत स्वर्गीय श्री सरदार गुरभजन सिंह मान (वसीयतकर्ता) द्वारा दिनांक 06.04.2012 को निष्पादित अंतिम वसीयत के संबंध में प्रोबेट प्रदान करने के लिए वर्तमान प्रोबेट याचिका दायर की है।

2. याचिकाकर्ता ने कहा है कि वसीयतकर्ता 12 तिलक मार्ग, नई दिल्ली-110001 का निवासी था। वह निम्नलिखित का एकमात्र और पूर्ण मालिक था:-

अचल संपत्तियां -

- 1) फ्लैट नंबर 703, अंसल भवन, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली - 110001;
- 2) फ्लैट नंबर 414-ए, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, बाबर लेन, बंगाली मार्केट के पास, कनाॅट प्लेस, नई दिल्ली - 110001;
- 3) फ्लैट नंबर 328, तृतीय तल, टावर सी-, वाटिका इन्फोटेक पार्क, फरीदाबाद, हरियाणा;
- 4) फ्लैट नंबर 1016, दसवां तल, प्लॉट नंबर 11, डीएलएफ टॉवर-बी, जसोला, नई दिल्ली- 110044.

चल संपत्तियां -

- 1) वाहन- कार पंजीकरण संख्या डीएल-3सी-बीएल-3904 (स्विफ्ट डिजायर, मॉडल 2010) और कार पंजीकरण संख्या (डीएल 3सीसीई 3795 टोयोटा कैमरी, मॉडल 2016)।
- 2) बैंक खाते - () एचडीएफसी बार खान मार्केट शाखा, नई दिल्ली 110003 के साथ बचत बैंक खाता संख्या

13581000007410; तथा () पंजाब नेशनल बैंक, मिंटो रोड,
नई दिल्ली 110003 में चालू बैंक खाता संख्या
0129002100161678;

3) शेयर और डिबेंचर-

कंपनी का नाम	शेयर/ डिबेंचर की सं.	आज की तिथि के अनुसार बाजार मूल्य
नेस्ले इंडिया लिमिटेड	1160	1,30,38,400
ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइन बीचम लिमिटेड	2438	35,68,988
मेरेक लिमिटेड	6399	1,85,41,742
दएवू मोटर्स इंडिया लिमिटेड	50	शून्य
एनटीपीसी लिमिटेड	214	31,993
एनटीपीसी लिमिटेड (एनसीडी)	214	2,675
सिंभावली शुगर लिमिटेड	3000	31,200

टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड	868	16,96,940
	कुल	3,69,11,938

4) म्यूचुअल फंड -

फंड का नाम	यूनिट की सं.	आज की तिथि के अनुसार वर्तमान मूल्य
रिलायंस फोकस्ड लार्ज कैप फंड-ग्रोथ प्लान ग्रोथ ऑप्शन ईएफ-जीपी	15000	501493

5) अन्य- शिमला बंगला, कोटेशेरा हाउस, शिमला के अधिग्रहण के लिए शिक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार से 40 लाख रुपये के मुआवजे की हकदारी।

अपवर्जित संपत्तियाँ

(जैसा कि वसीयत के निष्पादन के बाद और उसके जीवनकाल के दौरान मृत द्वारा बेचा गया)

- 1) गाँव अस्पाई, जिला मुक्तसर, तहसील मलौट, पंजाब में हवेली, 7 एकड़ 1 कनाल 11 मरला कृषि भूमि सहित
- 2) पंजाब के मलौट तहसील के जिला मुक्तसर के गांव अस्पाई में स्थित कृषि भूमि का क्षेत्रफल 37 एकड़ है।
- 3) क्लासिक टॉवर, राजौरी गार्डन, नई दिल्ली- 110027 में 10वीं मंजिल पर यूनिट संख्या 01/1015 और 01/1017, जिनका क्षेत्रफल क्रमशः 456 वर्ग फुट और 644 वर्ग फुट है।
- 4) एचडीएफसी बैंक खान मार्केट शाखा, नई दिल्ली 110003 में फिक्स्ड डिपॉजिट, ग्राहक आईडी 30838928
- 5) कार पंजीकरण संख्या (डीएल-2सी-क्यू-6030 स्कोडा)।

3. वसीयतकर्ता, स्वर्गीय श्री सरदार गुरभजन सिंह, अविवाहित और बिना किसी संतान के, 04.01.2018 को मर गए। प्रत्यर्थी संख्या 2, 6 और 8 धर्मार्थ सोसायटी हैं, जबकि प्रत्यर्थी संख्या 3, 4 और 5, 12तिलक मार्ग, नई दिल्ली के निवासी हैं और वसीयतकर्ता अपनी मृत्यु के समय उनके साथ उनके घर में रह रहा था। प्रत्यर्थी संख्या 7, वसीयतकर्ता का भतीजा (उसके दिवंगत भाई का पुत्र) है और प्रत्यर्थी संख्या 9, वसीयतकर्ता की दिवंगत बहन की पुत्री है। प्रत्यर्थी संख्या 2-9, दिनांक 06.04.2012 की उक्त वसीयत के अंतर्गत लाभार्थी हैं।
4. वसीयतकर्ता ने अपने स्वामित्व वाली अचल संपत्तियों को निम्नलिखित तरीके से वसीयत में दिया है-

अचल संपत्तियां

1. मैं गांव अस्पाई, जिला मुक्तसर, तहसील मलौट, पंजाब में एक हवेली का पूर्ण मालिक हूं और मेरे पास गांव अस्पाई, जिला मुक्तसर, तहसील मलौट, पंजाब में लगभग 44 एकड़ की कृषि भूमि है।

मैं अपनी हवेली और 7 एकड़ 1 कनाल और 11 मरला कृषि भूमि, जिसका खसरा नंबर 56एम/15/2/2 (2-0), 16(8-0), 25(7-11), 73एम/5 (8-0), 6(8-), 15/1 (11-0), 15/2 (4-0), 16 (8-0) और 25(8-0) है, जो नवीनतम राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार, गांव अस्पाई, जिला मुक्तसर, तहसील मलौट, पंजाब में है,

ऑल इंडिया पिंगलवाडा चैरिटेबल सोसाइटी, (रजिस्टर्ड), तहसीलपुरा, जी.टी. रोड, अमृतसर, पंजाब (इसके बाद 'पिंगलवाडा सोसाइटी' के रूप में संदर्भित) पंजीकरण संख्या 130 दिनांक 06.03.1957 को वसीयत में देता हूं। मेरी इच्छा और आकांक्षा है कि पिंगलवाडा सोसायटी इस हवेली को "मंगल सिंह मान चैरिटेबल अस्पताल" के नाम से एक धर्मार्थ अस्पताल में बदल दे। इस हवेली का उपयोग किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाएगा। नवीनतम राजस्व अभिलेखों के अनुसार, गांव अस्पाई, जिला मुक्तसर, तहसील मलौट, पंजाब में खसरा संख्या 56एम/15/2/2 (2-0), 16(8-0), 25(7 11), 73एम/5 (8-0), 6(8-0), 15/1 (11-0), 15/2 (4-0), 16 (8-0) और 25(8-) की 7 एकड़ 1 कनाल और 11 मरला क्षेत्रफल वाली कृषि भूमि की उपज से होने वाली आय को हमेशा अस्पताल के रख-रखाव और संचालन के लिए ही प्रयोग किया जाएगा, किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं। पिंगलवाडा सोसायटी दूसरों से दान लेने के लिए स्वतंत्र होगी लेकिन अस्पताल का नाम नहीं बदला जाएगा। पिंगलवाडा सोसायटी को दी गई हवेली और कृषि भूमि को किसी भी परिस्थिति में पिंगलवाडा सोसायटी द्वारा बेचा, गिरवी या ऋणग्रस्त नहीं किया जाएगा।

श्री गुरपाल सिंह और उनकी पत्नी श्रीमती जय इंदर कौर तथा उनके बेटे श्री अंगद सिंह और श्री निर्वाण सिंह, सभी निवासी 12 तिलक मार्ग, नई दिल्ली ने मुझे बहुत सम्मान, प्यार और स्नेह दिया है तथा उन्होंने मेरी सभी जरूरतों का ध्यान रखा है और मैं उनके साथ उनके घर में रह रहा हूं। उनके प्रति अपने प्यार और

स्नेह के कारण, मैं अपनी शेष बची कृषि भूमि, गांव अस्पाई, जिला मुक्तसर, तहसील मलौट, पंजाब, जिसका क्षेत्रफल लगभग 37 एकड़ है, को श्री अंगद सिंह और श्री निर्वाण सिंह, जो श्री गुरपाल सिंह के पुत्र हैं और 12, तिलक मार्ग, नई दिल्ली के निवासी हैं, के पक्ष में समान रूप से वसीयत में देता हूँ। वे संयुक्त रूप से उक्त कृषि भूमि के एकमात्र और पूर्ण स्वामी होंगे और अपनी इच्छा और आकांक्षा के अनुसार उसका और/या कृषि उपज का उपयोग, विक्रय, किराया, ऋणग्रस्त, गिरवी आदि करने के लिए स्वतंत्र होंगे।

2. मैं फ्लैट नंबर 703, अंसल भवन, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली - 110001, 1043 वर्ग फीट का पूर्ण मालिक हूँ। मैं उक्त फ्लैट को पूर्णतः एवं सदैव के लिए भाई वीर सिंह बिरध घर (वृद्धाश्रम), जंडियाला रोड, तरन तारन, जिला अमृतसर, पंजाब (जिसे आगे 'बिरध घर' कहा जाएगा) को वसीयत में देता हूँ। उक्त फ्लैट को किसी भी परिस्थिति में बेचा, गिरवी या ऋणग्रस्त नहीं किया जाएगा। इसे सदैव किराये पर दिया जाएगा। उक्त फ्लैट को किराये पर देने से प्राप्त किराये की आय केवल बिरध घर के निवासियों के लाभ के लिए ही प्रयोग की जाएगी, किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं।

3. मैं फ्लैट नंबर 414-ए, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, बाबर लेन, बंगाली मार्केट के पास, कनाॅट प्लेस, नई दिल्ली - 110001, 277 वर्ग फीट का पूर्ण स्वामी हूँ। मैं उक्त फ्लैट को पूर्ण रूप से और हमेशा के लिए पिंगलवाड़ा सोसाइटी को देता हूँ। उक्त फ्लैट को किसी भी

परिस्थिति में बेचा या गिरवी या ऋणग्रस्त नहीं किया जाएगा। इसे हमेशा किराए पर दिया जाएगा। उक्त फ्लैट को किराए पर देने से प्राप्त किराये की आय केवल पिंगलवाड़ा सोसाइटी के निवासियों के लाभ के लिए ही प्रयोग की जाएगी और किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं।

4. मैं क्लासिक टॉवर, राजौरी गार्डन, नई दिल्ली - 110027 में 10वीं मंजिल पर यूनिट संख्या 01/1015 और 01/1017 का पूर्ण मालिक हूँ और इनका क्षेत्रफल क्रमशः 456 वर्ग फुट और 644 वर्ग फुट है। मैं उक्त फ्लैटों को पूर्णतः एवं सदैव के लिए चीफ खालसा दीवान, जी.टी. रोड, अमृतसर (जिसे आगे 'चीफ खालसा दीवान' कहा जाएगा) को वसीयत में देता हूँ। उक्त फ्लैटों को किसी भी परिस्थिति में बेचा, गिरवी या ऋणग्रस्त नहीं किया जाएगा। इन्हें सदैव किराये पर दिया जाएगा। उक्त फ्लैटों को किराये पर देने से प्राप्त किराया केवल चीफ खालसा दीवान के निवासियों के लाभ के लिए ही प्रयोग किया जाएगा, किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं।

5. मैं संपत्ति संख्या 328, तृतीय तल, टॉवर सी-, वाटिका इन्फोटेक पार्क, फरीदाबाद, हरियाणा का पूर्ण मालिक हूँ, जिसका क्षेत्रफल 1000 वर्ग फीट है। मैं उक्त संपत्ति को पूर्णतः और हमेशा के लिए अपने भतीजे (मेरे दिवंगत भाई के बेटे) श्री जगदीप सिंह मान, पुत्र स्वर्गीय एस. चरणजीत सिंह मान निवासी सी-14, भूतल, चिराग एन्क्लेव, नई दिल्ली-110048 के पक्ष में

वसीयत में देता हूँ और वह उक्त फ्लैट का एकमात्र और पूर्ण मालिक होगा और अपनी इच्छा और आकांक्षा के अनुसार इसका उपयोग, बिक्री, किराए पर देने, ऋणग्रस्त करने, गिरवी रखने आदि करने के लिए स्वतंत्र होगा।”

5. वसीयतकर्ता ने अपने स्वामित्व वाली चल संपत्तियों को निम्नलिखित तरीके से वसीयत में दिया है-

चल संपत्तियां

1. मेरे पास एक कार स्विफ्ट डिजायर नं. डीएल - 3सी - बीएल - 3904 है। मैं उक्त कार को अपने भतीजे (मेरे दिवंगत भाई के बेटे) श्री जगदीप सिंह मान, पुत्र स्वर्गीय एस. चरणजीत सिंह मान, निवासी सी-14, भूतल, चिराग एन्क्लेव, नई दिल्ली-110048 के पक्ष में पूर्णतः और हमेशा के लिए वसीयत में देता हूँ और वह इसका एकमात्र और पूर्ण मालिक होगा।

2. मेरे पास एक कार स्कोडा नं. डीएल - 2सी - क्यू - 6030 है। मैं उक्त कार को पूर्णतः और हमेशा के लिए श्रीमती जय इंदर कौर, पत्नी श्री गुरपाल सिंह, निवासी 12, तिलक मार्ग, नई दिल्ली -110001 के पक्ष में वसीयत में देता हूँ और वह इसकी एकमात्र और पूर्ण स्वामी होगी।

3. मेरे पास एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, खान मार्केट, नई दिल्ली के बचत बैंक खाता संख्या

13581000007410 में पैसा है। मैं बचत खाते में जमा धनराशि को सभी उपार्जित लाभों, जमाओं, ब्याजों आदि सहित, किन्तु उक्त बैंक में जमा सावधि जमा को छोड़कर (जो इस वसीयत के उत्तरार्द्ध में की गई वसीयत के अनुसार हस्तांतरित होगी), पूर्णतः और सदैव के लिए पिंगलवाड़ा सोसायटी के पक्ष में वसीयत में देता हूँ, जो उक्त धनराशि का उपयोग केवल पिंगलवाड़ा सोसायटी के निवासियों के लाभ के लिए करेगी, किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं।

4. मेरे पास एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, खान मार्केट, नई दिल्ली - 110003 में सावधि जमा है, जिसका ग्राहक आईडी नंबर - 30838928 है। मैं उक्त सावधि जमा की सम्पूर्ण राशि को सभी उपार्जित लाभों, जमाओं, ब्याजों आदि सहित, पूर्णतः एवं सदैव के लिए निम्नलिखित तरीके से वसीयत में देता हूँ:

(क). कुल राशि का 1/3 चीफ खालसा दीवान के पक्ष में, जो उक्त राशि का उपयोग केवल चीफ खालसा दीवान के निवासियों के लाभ के लिए करेगा तथा किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं करेगा;

(ख) कुल राशि का 1/3 हिस्सा बिरध घर के पक्ष में केवल बिरध घर के निवासियों के लाभ के लिए उपयोग किया जाएगा और किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं; तथा

(ग) कुल राशि का 1/3 हिस्सा पिंगलवाड़ा सोसायटी के पक्ष में केवल पिंगलवाड़ा सोसायटी के निवासियों के लाभ के लिए उपयोग किया जाएगा और किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं।

5. मेरे पास पंजाब नेशनल बैंक, मिंटो रोड शाखा, नई दिल्ली के बचत बैंक खाते संख्या 0129002100161678 में पैसा है। मैं इस प्रकार सम्पूर्ण राशि तथा सभी उपार्जित लाभ, जमा, ब्याज आदि को पूर्णतः तथा सदैव के लिए चीफ खालसा दीवान के पक्ष में वसीयत में देता हूँ, जो उक्त राशि का उपयोग केवल चीफ खालसा दीवान के निवासियों के लाभ के लिए करेगा, किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं। इसके अतिरिक्त, उक्त बैंक से प्राप्त कोई भी राशि या उक्त खाते से अवैध और धोखाधड़ी से धन निकालने के कारण मुआवजे के रूप में प्राप्त सभी उपार्जित लाभ, जमा, ब्याज आदि भी पूरी तरह से और हमेशा के लिए चीफ खालसा दीवान के पक्ष में हस्तांतरित हो जाएंगे, जो उक्त राशि का उपयोग केवल चीफ खालसा दीवान के निवासियों के लाभ के लिए करेंगे और किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं।

6. मैं शिमला बंगला, कोटेशेरा हाउस, शिमला के अधिग्रहण के लिए शिक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार से 40,00,000/- रुपये (केवल चालीस लाख रुपये) का मुआवजा प्राप्त करने का हकदार हूँ। उक्त बंगले के अधिग्रहण हेतु अधिसूचना हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी कर दी गई है। मैं सम्पूर्ण मुआवजा राशि के साथ-साथ सभी अर्जित लाभ, ऋण, ब्याज आदि को पूर्णतः एवं सदैव के लिए निम्नलिखित तरीके से वसीयत में देता हूँ:

(क). 1/7वां हिस्सा श्रीमती दविंदर कौर, पत्नी श्री अविनाश ग्रेवाल, मकान संख्या 102, सेक्टर 9,

चंडीगढ़ के पक्ष में;

(ख) 3/7वाँ हिस्सा मेरे भतीजे (मेरे भाई के बेटे) श्री जगदीप सिंह मान, पुत्र स्वर्गीय श्री एस. चरणजीत सिंह मान, निवासी सी-14, भूतल, चिराग एन्क्लेव, नई दिल्ली -110048 के पक्ष में; तथा

(ग) 3/7वाँ हिस्सा चीफ खालसा दीवान के पक्ष में होगा, जो उक्त राशि का उपयोग केवल चीफ खालसा दीवान के निवासियों के लाभ के लिए करेगा, किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं।

7. मेरे पास मेसर्स नेस्ले इंडिया लिमिटेड के 1,160 (एक हजार एक सौ साठ) शेयर हैं। मैं इसे सभी उपार्जित लाभों, जमाओं, ब्याजों, बोनस शेयरों, लाभांशों आदि सहित पूर्णतः और सदैव के लिए पिंगलवाड़ा सोसायटी के पक्ष में वसीयत में देता हूँ, जिसका उपयोग केवल पिंगलवाड़ा सोसायटी के निवासियों के लाभ के लिए किया जाएगा, अन्य किसी उद्देश्य के लिए नहीं।

8. मेरे पास मेसर्स ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइन बीचम लिमिटेड के 2,438 (दो हजार चार सौ अड़तीस) शेयर हैं। मैं इन्हें सभी अर्जित लाभों, जमाओं, ब्याज, बोनस शेयरों, लाभांश आदि के साथ पूरी तरह से और हमेशा के लिए चीफ खालसा दीवान सोसायटी के पक्ष में वसीयत में देता हूँ, जो इसका उपयोग केवल चीफ खालसा दीवान के निवासियों के लाभ के लिए करेगी और किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं।

9. मेरे पास मेसर्स ई मेरेक लिमिटेड के 6,399 (छह हजार तीन सौ निन्यानवे) शेयर हैं। मैं इसे सभी उपार्जित लाभों, ऋणों, ब्याजों, बोनस शेयरों, लाभांशों आदि सहित पूर्णतः और सदैव के लिए बिरध घर के पक्ष में वसीयत करता हूँ, जिसका उपयोग केवल बिरध घर के निवासियों के लाभ के लिए किया जाएगा, किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं।

10. कोई भी संपत्ति, चाहे चल हो या अचल, जो मेरी मृत्यु के समय मेरे स्वामित्व में हो या जो मेरी मृत्यु के बाद मेरी संपदा का हिस्सा बन सकती है, साथ ही सभी अर्जित लाभ, जमा, ब्याज आदि और जिसके लिए मैंने अपनी इस वसीयत में कोई स्पष्ट वसीयत नहीं की है, मैं एतद्वारा सभी उपार्जित लाभों, जमाओं, ब्याजों आदि सहित पूरी तरह से और हमेशा के लिए पिंगलवाड़ा सोसाइटी के पक्ष में वसीयत में देता हूँ जिसका उपयोग केवल पिंगलवाड़ा सोसाइटी के निवासियों के लाभ के लिए किया जाएगा और किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं।”

6. अतः प्रार्थना की जाती है कि स्वर्गीय श्री सरदार गुरभजन सिंह मान की दिनांक 06.04.2012 की अंतिम वसीयत के संबंध में प्रोबेट प्रदान किया जाए तथा सभी चल एवं अचल संपत्तियों को दिनांक 06.04.2012 की अंतिम वसीयत के अनुसार हस्तांतरित किया जाए।

7. उद्धरण दैनिक समाचार पत्र 'द स्टेट्समैन' (दिल्ली संस्करण) में

18.04.2019 को प्रकाशित किए गए।

8. प्रत्यर्थी संख्या 2 से 9 ने याचिकाकर्ता को प्रोबेट प्रदान करने के लिए अपने "निराक्षेप" प्रमाण पत्र दे दिए हैं।

9. संपत्तियों के संबंध में मूल्यांकन रिपोर्ट मांगी गई थी और वह अभिलेख पर है।

10. याचिकाकर्ता/तेजबीर सिंह, जो वसीयत के एकमात्र निष्पादक हैं तथा लाभार्थी नहीं हैं, ने स्वयं को अभि.सा. 1 के रूप में प्रस्तुत किया तथा साक्ष्य शपथपत्र प्रस्तुत किया तथा स्वर्गीय श्री सरदार गुरभजन सिंह मान की दिनांक 06.04.2012 की मूल वसीयत प्र. पी-1 को प्रमाणित किया। उन्होंने मूल मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 27/04/2018 प्र.पी-2 भी साबित किया।

11. श्री एस.के. बंसल, वसीयत प्र.पी-1 के अनुप्रमाणन गवाह हैं तथा उन्होंने यह गवाही दी है कि स्वर्गीय श्री सरदार गुरभजन सिंह मान ने दिनांक 06.04.2012 को अपनी अंतिम वसीयत में, उनकी तथा अन्य अनुप्रमाणन गवाहों की उपस्थिति में, बिन्दु चिह्न 'सी' पर अपने हस्ताक्षर किए थे तथा वसीयत में बिन्दु चिह्न 'ए' पर उनके हस्ताक्षर हैं। उन्होंने बिन्दु 'बी' पर अन्य अनुप्रमाणन गवाह श्री अरशद नदीम के हस्ताक्षरों की पहचान की।

12. प्रस्तुतियाँ सुनी गईं और अभिलेखों का अवलोकन किया गया।

13. *भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की धारा 63* में अप्राधिकृत

वसीयत के निष्पादन पर मूल कानून का प्रावधान है। अप्राधिकृत के वैध निष्पादन को साबित करने के लिए यह सिद्ध करना उचित है कि सबसे पहले, वसीयत पर वसीयतकर्ता द्वारा विधिवत हस्ताक्षर किया गया हो या उस पर उसकी मुहर लगी हो; दूसरा, इस प्रकार लगाया गया चिह्न या वसीयतकर्ता के हस्ताक्षर इस प्रकार रखे गए थे कि ऐसा प्रतीत होता है कि इसे वसीयतकर्ता द्वारा निर्दिष्ट तरीके से और सभी बाहरी प्रभावों से मुक्त मन से निष्पादित किया जाना था; तीसरा, इसे दो या अधिक गवाहों द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए, जिनमें से प्रत्येक ने वसीयतकर्ता को वसीयत पर हस्ताक्षर करते या अपना चिह्न लगाते देखा हो। वसीयत पर वसीयतकर्ता की उपस्थिति में गवाहों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि उस ही समय में वहां एक से अधिक गवाह उपस्थित हों।

14. इसलिए, वर्तमान मामले में उपरोक्त सिद्धांतों को लागू करते हुए, स्वर्गीय श्री सरदार गुरभजन सिंह, अभि. सा.-1 की अंतिम वसीयत के रूप में दिनांक 06.04.2012 की वसीयत प्र-पी 1 के वैध निष्पादन को साबित करने के लिए, याचिकाकर्ता/तेजबीर सिंह ने यह गवाही दी है कि मृतक श्री सरदार गुरभजन सिंह मान उनके पुराने मित्र थे और उन्हें वसीयतकर्ता की आखिरी और अंतिम वसीयत दिनांक 06.04.2012 के एकमात्र निष्पादक के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्होंने आगे गवाही दी है कि वसीयत पर वसीयतकर्ता द्वारा दो गवाहों, श्री एस.के. बंसल और श्री अरशद नदीम की उपस्थिति में

हस्ताक्षर किए गए थे, जिन्होंने एक-दूसरे की उपस्थिति में अपने हस्ताक्षर किए थे और वसीयतकर्ता के हस्ताक्षरों की पहचान भी की थी। उन्होंने यह भी गवाही दी कि वसीयतकर्ता ने दिनांक 06.04.2012 की वसीयत में निर्दिष्ट तरीके से अपनी चल और अचल संपत्ति लाभार्थियों को देने की इच्छा व्यक्त की थी। इस प्रकार, वसीयत प्र. पी-1 का निष्पादन विधिवत सिद्ध हो गया है।

15. इसके अलावा, वसीयत के वैध निष्पादन के लिए, **भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 68** के आवश्यक तत्वों को पूरा करना होगा, जो वसीयत के निष्पादन के प्रमाण के तरीके के बारे में बताता है और यह आवश्यक है कि वसीयत के वास्तविक और वैध निष्पादन को साबित करने के लिए वसीयत को अनुप्रमाणित करने वाले कम से कम एक गवाह की जांच की जानी चाहिए।

16. **अभि.सा. श्री एस.के. बंसल**, अनुप्रमाणन गवाह ने यह बयान दिया है कि स्वर्गीय श्री सरदार गुरभजन सिंह मान ने स्वयं तथा अन्य अनुप्रमाणन गवाहों की उपस्थिति में दिनांक 06.04.2012 को अपनी अंतिम वसीयत निष्पादित की है तथा उस पर अपने हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने बिन्दु चिह्न 'सी' पर वसीयतकर्ता के हस्ताक्षर, बिन्दु चिह्न 'ए' पर अपने हस्ताक्षर तथा बिन्दु चिह्न 'बी' पर अन्य अनुप्रमाणन गवाह श्री अरशद नजीर के हस्ताक्षर की भी पहचान की है।

17. प्रत्यर्थी संख्या 2 से 9 द्वारा याचिका का विरोध नहीं किया गया है और उन्होंने प्रोबेट प्रदान करने पर अपने निराक्षेप देते हुए अपने-अपने शपथपत्र दाखिल किए हैं तथा उद्धरण के अनुसार किसी तीसरे व्यक्ति से कोई निराक्षेप प्राप्त नहीं हुआ है।

18. उपरोक्त को देखते हुए, याचिकाकर्ता अभि.सा.-1 और अनुप्रमाणन श्री एस.के. बंसल की निर्विवाद गवाही से यह साबित होता है कि दिनांक 06.04.2012 की वसीयत प्र.पी-1 मृतक श्री सरदार गुरभजन सिंह मान की आखिरी और अंतिम वसीयत है, जिस पर उन्होंने दो गवाहों की उपस्थिति में, स्वभाव और प्रभाव को समझने के बाद स्वस्थ और शांत मन से अपनी स्वतंत्र इच्छा से हस्ताक्षर किए थे।

19. उपरोक्त के मद्देनजर, श्री सरदार गुरभजन सिंह मान की दिनांक 06.04.2012 की वसीयत प्र.पी-1 की वास्तविकता और प्रामाणिकता साबित मानी जाती है।

20. दिनांक 06.04.12 की वसीयत के संबंध में प्रोबेट, अपेक्षित कोर्ट फीस के भुगतान के अधीन, याचिकाकर्ता, नामित निष्पादक के पक्ष में प्रदान किया जाता है।

21. याचिकाकर्ता इस न्यायालय के विद्वान संयुक्त महा निबंधक की संतुष्टि के लिए एक प्रतिभू के साथ प्रशासकीय बंधपत्र प्रस्तुत करेगा। अपेक्षित कोर्ट फीस और अन्य उपर्युक्त औपचारिकताओं के भुगतान पर, दिनांक 06.04.2012 की

वसीयत के संबंध में प्रोबेट रजिस्ट्री द्वारा जारी किया जाएगा।

22. उपरोक्त शर्तों के अनुसार याचिका को अनुमति दी जाती है।

(नीना बंसल कृष्णा)
न्यायाधीश

10 अप्रैल, 2024/आरएस

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दोबाज के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।